निर्वाचन आवश्यक/ई0मेल

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या 697 /रा0नि0आ0–2/4240/2024 दिनांक 22 मई, 2025

:: प्रेस–नोट ::

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 20.05.2025 को आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के लिये पंचायत निर्वाचक नामावलियों में नाम खोजने की सुविधा राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के मतदाता सूची पार्टल secvoter.uk.gov.in पर उपलब्ध करा दी गयी है। पंचायतों के मतदाता अपना नाम आयोग के उक्त पोर्टल पर "पंचायत मतदाता खोजें" पर क्लिक कर खोज सकते हैं। आयोग द्वारा घर–घर जाकर कराये गये विस्तृत पुनरीक्षण के अनुसार दिनांक 17.01.2025 को अन्तिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओं के नाम खोजे जा सकते हैं। जिन मतदाताओं के नाम कतिपय कारणों से निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन में सम्मिलित होने से रह गये थे उन मतदाताओं के नाम आयोग द्वारा दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 22.03.2025 तक प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में (हरिद्वार जनपद को छोड़कर) ग्रामवार बैठक बुलाकर निर्वाचक नामावली प्रकाशित करने हेतु चलाये गये विशेष अभियान के समय व उसके बाद भी ग्राम पंचायत के संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने हेतु उपलब्ध कराये गये आवेदनों पर जनपदों द्वारा आयोग से स्वीकृति प्राप्ति के बाद उक्त पोर्टल पर खोजे जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनपदों के माध्यम से प्रयास किये गये हैं कि किसी भी पात्र निर्वाचक का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से ना छूटे तथापि अभी भी पात्र मतदाता अपने निकटतम विकास खण्ड अथवा तहसील कार्यालय में प्रपत्र भरकर नाम जोड़ने/संशोधन करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

संख्या– 697 /रा0नि0आ0–2/4240/2024 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आसय से प्रेषित कि उक्त सूचना को प्रदेश के समाचार–पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त का जनपद स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
3. समस्त राजनीतिक दल (राज्य निर्वाचन आयोग में पंजीकृत) उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।